पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) टिब्बी जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :–सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0:–546/2025

1. सुखवन्त सिह पुत्र मखनसिह जाति बावरी निवासी खाराखेड़ा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम्

2 तहसीलदार राजस्व टिब्बी ।

प्रतिवादी

डिक्री दिनांक 17/4/26

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री महेश गौड व प्रतिवादी राजपैरोकार अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है:– वाद वादी स्वीकार किया जाकर घोषणा की जाती है कि चक 4 केएचआर के जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 के खाता सं0 30/125 में वादी का नाम सुखमिन्द्र सिह पुत्र मक्खनसिह को दुरूस्त कर सही नाम सुखवन्तसिह पुत्र मक्खनसिह की घोषणा की जाती है। यदि वादी पर किसी भी प्रकार का आपराधिक प्रकरण या कोई सरकारी देय बकाया हो तो पूर्व नाम ही मान्य होगा। तहसीलदार राजस्व टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो उक्तानुसार राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 17/4/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर टिब्बी।